[2019] 11 एस. सी. आर 660

महानगर टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड

वी.

केनरा बैंक एंड ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 6202-6205 2019 का)

अगस्त 08,2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

मध्यस्थता समझौता-वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व-मध्यस्थता कार्यवाही में सहायक कंपनी का जॉइंडर तथ्यों पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी के बीच लेनदेन संख्या। 1 और इसकी सहायक, प्रत्यर्थी सं। 2 - उत्तरदाता नं. 2 सदस्यता ली।

अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए बॉन्डों को और बाद में बॉन्डों को अपनी होल्डिंग कंपनी को हस्तांतरित कर दिया-प्रतिवादी नं। 1 - अपीलार्थी का मामला कि चूंकि प्रत्यर्थी नं। 2 बॉन्ड के लिए संपूर्ण बिक्री विचार का भुगतान नहीं किया, अपीलार्थी बॉन्ड के आवंटन को रद्द करने के लिए विवश हुआ-मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति-पक्षों के बीच वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति और प्रतिवादी सं। 1 उत्तरदाता सं. के शामिल होने के लिए। 2 पार्टी के रूप में

मध्यस्थता क्योंकि प्रत्यर्थी सं। 2 मध्यस्थता समझौते में पक्षकार नहीं था, इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता था-आयोजितः अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौता सं। 1 पक्षकारों और कार्यवाहियों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का प्रमाण मिलता है और यह अंतिम और निर्णायक होता है-अपीलार्थी विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति देने के बाद

उच्च न्यायालय के समक्ष, अब यह तर्क देने से रोक दिया गया है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई लिखित समझौता नहीं था -

उत्तरदाता नं. 1 के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया था

मध्यस्थ और अपीलार्थी ने दावे के बयान पर अपना जवाब दाखिल किया, और प्रतिवादी नं. 1 , जो मध्यस्थता के अस्तित्व का प्रमाण होगा

समझौता, और उसी को दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था-जहां तक मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 के जॉइंडर की आपत्ति का संबंध है, केवल अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच विवादों का फैसला करने का एक व्यर्थ प्रयास होगा। 1 , की अनुपस्थिति में

660 महानगर टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड वी. केनरा बैंक

उत्तरदाता नं। 2 , चूंकि निर्विवाद रूप से, मूल लेनदेन

अपीलार्थी द्वारा बॉन्डों को इस आधार पर रद्द करना कि पूरे प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था-बॉन्ड जारी करने के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध है, इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को इसका हस्तांतरण किया गया है। 1 , और द्वारा रद्द करना अपीलार्थी, जिसके कारण तीनों पक्षों के बीच विवाद हुए हैं, इस प्रकार, प्रत्यर्थी नं। 2 मध्यस्थता कार्यवाहियों के लिए एक आवश्यक और उचित पक्षकार है जो मध्यस्थता की त्रिकोणीय प्रकृति को देखते हुए

लेन-देन, विवादों का अंतिम समाधान केवल तभी हो सकता है जब तीनों पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल हो जाएं, अंत में लंबित विवादों को हल करने के लिए-प्रतिवादी नं। 2

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है, और विवाद समिति का प्रतिनिधित्व एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उसके अलग वकील द्वारा किया गया था-प्रतिवादी नं। 1 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, प्रत्यर्थी संख्या 2 में शामिल हो गया था, भले ही इसे एक प्रोफार्मा पार्टी के रूप में शामिल किया गया था-प्रत्यर्थी संख्या 2 को मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने पर आपत्ति प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उठाई गई थी। 1 , और प्रत्यर्थी संख्या 2 नहीं-प्रत्यर्थी संख्या द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई योग्यता नहीं है। 1 प्रतिवादी संख्या 2 के विवाद में एक पक्ष के रूप में शामिल होने का विरोध करना। उत्तरदाता नं. 1 एक मसौदा संलग्न किया था

अपीलार्थी के लिए मध्यस्थता समझौता, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्यस्थता तीन पक्षों यानी प्रत्यर्थी के बीच होगी। नहीं। 1 और प्रथम भाग के पक्षकार के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2, और द्वितीय भाग के पक्षकार के रूप में अपीलार्थी-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किए जाने के लिए निहित या मौन सहमति थी, जो पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट है-प्रत्यर्थी संख्या 2

एकल मध्यस्थ के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, विवाद समिति के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है, और तत्काल अपील में इस न्यायालय के समक्ष इसके अलग वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था।

दोनों उत्तरदाता नं। 1 , और कार्यवाही के लिए इसकी सहायक-प्रतिवादी संख्या 2-विवादों का कोई अंतिम समाधान नहीं हो सकता है, जब तक कि तीनों पक्ष मध्यस्थता में शामिल नहीं हो जाते हैं-एकल मध्यस्थ के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 2 में शामिल होने के लिए कंपनी समूह के सिद्धांत का आह्वान किया जाता है-मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने के लिए एकल मध्यस्थ को प्रेषित किया गया मामला।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता समझौता-वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व-आयोजित: मध्यस्थता समझौता पक्षों के बीच लिखित समझौता है, जो अपने मौजूदा, या भविष्य के विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करता है-वैध मध्यस्थता समझौता है

जिस आधार पर मध्यस्थता प्रक्रिया संरचित है-मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए बाध्यकारी समझौता एक अनिवार्य शर्त है-पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए-एक मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्व या विशेषताएँ उनके विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का समझौता है, जो एक समझौते, अलग समझौते, या दस्तावेजों/पत्राचार में एक खंड से स्पष्ट रूप से या निहित रूप से लिखा गया है-यदि यह प्रथम दृष्टया दिखाया जा सकता है कि पक्षकार समान हैं,

भले ही दूसरे पक्ष ने एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हों, लेकिन यह उसे समझौते के तहत दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है - पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध के अस्तित्व का पता लगाने के लिए, अनुबंध की शर्तों, पक्षों के संचालन और आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से पक्षों के इरादे का अनुमान लगाया जाना चाहिए यदि रिकॉर्ड पर दस्तावेज बताते हैं कि पक्षकार वास्तविक थे, और वास्तव में सभी भौतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गए थे, तो इसे एक बाध्यकारी अनुबंध 'मध्यस्थता समझौते' के रूप में माना जाएगा, ताकि इसे तकनीकी रूप से अमान्य करने के बजाय पार्टियों के इरादे को प्रभावी बनाया जा सके।

सिद्धांत: कंपनियों के समूह का सिद्धांत-आयोजित-का आह्वान: कंपनी समूह के सिद्धांत को एक मध्यस्थता समझौते द्वारा एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को बाध्य करने के लिए लागू किया जा सकता है जहां पक्षों का आचरण हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के स्पष्ट इरादे का प्रमाण देता है-अदालतों और न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धांत को एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्य में शामिल होने के लिए लागू किया है

समूह, यदि वे संतुष्ट हैं कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी पक्षों के सामान्य इरादे के संदर्भ में थी, तो अनुबंध 'कंपनी समूह' सिद्धांत के लिए एक आवश्यक पक्ष इंगित करता है -

आधुनिक बहु-पक्षीय व्यावसायिक लेन-देन के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए एक समझौते के लिए निहित सहमति-सिद्धांत प्रदान करता है कि

हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है जहां मूल या धारक कंपनी, या कंपनियों के समूह का एक सदस्य मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है और समूह की गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई बातचीत में लगी हुई है या

वाणिज्यिक अनुबंध का प्रदर्शन, या महानगर टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड द्वारा दिए गए बयान।

वी. केनरा बैंक

अनुबंध द्वारा बाध्य होने के अपने इरादे का संकेत देते हुए, गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी संबंधित अनुबंधों से बाध्य और लाभान्वित होगा -

परिस्थितियाँ तब होती हैं जब मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष के बीच कोई सीधा संबंध होता है; विषय वस्तु की प्रत्यक्ष समानता; पक्षों के बीच लेन-देन की समग्र प्रकृति।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने हेल्ड पर इंदु मल्होत्रा, जे।

वैध स्वामित्व का अस्तित्व

समझौता

1.1 एक वैध मध्यस्थता समझौता एक मध्यस्थता का केंद्र होता है। मध्यस्थता समझौता एक लिखित समझौता है।

पक्षों के बीच, मध्यस्थता के लिए अपने मौजूदा, या भविष्य के विवादों या मतभेदों को प्रस्तुत करने के लिए। एक वैध मध्यस्थता समझौता वह आधारशिला है जिस पर मध्यस्थता प्रक्रिया की पूरी इमारत की संरचना की जाती है। विवादों के समाधान के लिए एक बाध्यकारी समझौता

मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। मध्यस्थता समझौता किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पक्षकार मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने का इरादा रखते हैं। मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्व या विशेषताएँ हैं -

उनके विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का समझौता, जो एक समझौते, अलग समझौते, या पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों/पत्राचार में एक खंड से स्पष्ट रूप से या निहित रूप से लिखा गया है। [पैरा 9,9.2] [679-ए-बी, एच; 680-ए]

1.2 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 (4) (बी) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौते से प्राप्त किया जा सकता है

धारा 7 (4) (बी) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से। यदि यह प्रथम दृष्टया दिखाया जा सकता है कि पक्षकार विज्ञापन पहचान वाले हैं, भले ही अन्य पक्षकार हो सकता है कि उसने एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हों, यह उसे समझौते के तहत दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है। [पैरा 9.3] [680-बी-सी] [2019] 11 एस. सी. आर.

उपकरण, और अन्य संविदात्मक दस्तावेज। की मंशा पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध के अस्तित्व का पता लगाने के लिए पार्टियों को अनुबंध की शर्तों, पार्टियों के आचरण और आदान-प्रदान किए गए पत्राचार से अनुमान लगाया जाना चाहिए। अगर

अभिलेख पर दस्तावेजों से पता चलता है कि पक्षकार पहले से ही थे, और वास्तव में सभी भौतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गए थे, तो इसे एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा। एक अनुबंध का अर्थ एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण अपनाकर एकत्र किया जाना चाहिए, और एक पांडित्यपूर्ण और कानूनी व्याख्या द्वारा विफल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसी वाणिज्यिक दस्तावेज़ की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि समझौते को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावी बनाया जा सके। एक 'मध्यस्थता समझौता' एक वाणिज्यिक समझौता है।

दस्तावेज़ अंतर-पक्षीय है, और इसकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि इसे तकनीकीताओं पर अमान्य करने के बजाय पक्षों के इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। किसी मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता खंड की व्याख्या या अर्थ निकालने में, यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह उसे कानून की अनुमेय सीमाओं के भीतर व्यवहार्य बनाए। अपने बीच के विवादों को मध्यस्थता करने के लिए पक्षों के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक सामान्य ज्ञान वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक वाणिज्यिक अनुबंध होने के नाते, मध्यस्थता खंड को विशुद्ध रूप से कानूनी मानसिकता के साथ नहीं माना जा सकता है, जैसा कि एक क़ानून के मामले में होता है। [पैरा 9.4,9.5,9.7] [680-डी-जी; 681-डी]

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. एनरकॉन जी. एम. बी. एच (2014) 5 एस. सी. सी. 1: [2014] 2 एस. सी. आर. 855-पर निर्भर।

1.4 एम. टी. एन. एल. और केनरा बैंक के बीच समझौता

विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों और कार्यवाही से प्रमाणित होता है। न्यायिक आदेश में दर्ज पक्षों के बीच समझौता, दोनों के बीच हुए समझौते का अंतिम और निर्णायक होता है। दलों को। अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति देने के बाद, अब यह तर्क देने से इनकार कर दिया है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई लिखित समझौता नहीं था। इसके अलावा, धारा 7 (4) (सी) में प्रावधान है कि दावों और बचाव के बयान के आदान-प्रदान के रूप में एक मध्यस्थता समझौता हो सकता है, जिसमें महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड का अस्तित्व है।

वी. केनरा बैंक

समझौते पर एक पक्ष द्वारा जोर दिया जाता है, और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। तत्काल मामले में, केनरा बैंक ने मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा विवरण दायर किया था, और एम. टी. एन. एल. ने दावे के विवरण पर अपना जवाब दायर किया था, और केनरा बैंक के खिलाफ जवाबी दावा भी किया था। मध्यस्थ के समक्ष दायर दावा और बचाव का बयान एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रमाण होगा, जिसे एस के तहत दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था।

7 (4) ((ग) 1996 के अधिनियम की धारा। [पैरा 9.9-9.10] [683-ई; 684-ए-बी]

भारत संघ बनाम। डी. एन. रेवरी एंड कंपनी, (1976) 4 एस. सी. सी. 147: [1977] 1 एस. सी. आर. 483; खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम। रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्रा. लिमिटेड [1963] 3 एससीआर 183; सावित्री गोयनका बनाम। कांति भाई दामिनी और अन्य। , 2009 (1) अरब एल. आर. 320 (डी. बी.); महाराष्ट्र राज्य बनाम। रामदास श्रीनिवास नायक (1982) 2 एससीसी 463: [1983] 1 एस. सी. आर. 8; चित्रा कुमारी बनाम भारत संघ (2001) 3 एससीसी

208 - संदर्भित किया गया।

आर्बिट्रल में जॉइंडर ऑफ कैन्फिना

2.1 अनुबंध कानून के सिद्धांतों के अनुसार, एक समूह में कंपनियों में से एक द्वारा किया गया समझौता, एक ही समूह के अन्य सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी एक ही समूह के अन्य सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। अलग कानूनी इकाई जिसके अलग कानूनी अधिकार और देनदारियाँ हों।

मूल, या सहायक कंपनी, एक समझौते में प्रवेश करती है, जब तक कि एजेंसी या प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करती है, एक समूह में एकमात्र इकाई होगी, जो उस समझौते से बाध्य होगी। इसी तरह, एक मध्यस्थता समझौता भी उन्हीं सिद्धांतों द्वारा शासित होता है, और आम तौर पर, समझौते में प्रवेश करने वाली कंपनी अकेले इसके लिए बाध्य होगी। [पैरा 10,10.2] [684-सी-एफ]

2.2 एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता द्वारा बाध्य हो सकता है।

"कंपनियों के समूह" सिद्धांत के आधार पर समझौता, जहां पक्षों का आचरण एक स्पष्ट इरादे का प्रमाण देता है

हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षों को बाध्य करने के लिए। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धांत को समूह के एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्य में शामिल होने के लिए लागू किया है, यदि वे संतुष्ट हैं कि [2019] 11 एस. सी. आर.

गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी सामान्य इरादे के संदर्भ में थी पक्षकारों का, अनुबंध के लिए एक आवश्यक पक्ष। 'कंपनी समूह' सिद्धांत एक के लिए निहित सहमति को इंगित करता है

आधुनिक बहु-पक्षीय व्यावसायिक लेन-देन के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए समझौता। 'कंपनी समूह' सिद्धांत को न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा मध्यस्थता में लागू किया गया है, जहां समूह की कंपनियों में से एक द्वारा एक मध्यस्थता समझौता किया जाता है; और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी, या बहन, या मूल संस्था को मध्यस्थता समझौते से बाध्य माना जाता है, यदि मामले के तथ्य और परिस्थितियां प्रदर्शित करती हैं कि समूह में हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी दोनों को बांधना सभी पक्षों का आपसी इरादा था। इस सिद्धांत में प्रावधान किया गया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थता सहमति से बाध्य हो सकता है-जहां मूल या धारक कंपनी, या कंपनियों के समूह का कोई सदस्य मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है और समूह में गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई वाणिज्यिक अनुबंध की बातचीत या प्रदर्शन में लगी हुई है, या अनुबंध से बाध्य होने के अपने इरादे का संकेत देने वाले बयान दिए गए हैं, तो गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी संबंधित अनुबंधों से बाध्य और लाभान्वित होगा। वे परिस्थितियाँ जिनमें 'कंपनी समूह' सिद्धांत को मूल कंपनी के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी को बाध्य करने के लिए लागू किया जा सकता है, या मध्यस्थता में किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सकता है, यदि उस पक्ष के बीच सीधा संबंध है जो एक हस्ताक्षरकर्ता है।

प्रकृति में परस्पर संबद्ध; या, जहां समझौते का निष्पादन पूरक या सहायक समझौते की सहायता, निष्पादन और निष्पादन के बिना संभव नहीं हो सकता है, साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और सामूहिक रूप से विवाद पर असर डालने के लिए। [पैरा 10.3,10.4] [684-एफ-एच; 685-डी-जी; 686-ए-सी]

2.3 कंपनी समूह सिद्धांत को लागू किया गया है

संगठनात्मक और वित्तीय संबंध, ताकि एक एकल संगठन का गठन किया जा सके आर्थिक इकाई, या एकल आर्थिक वास्तविकता। ऐसी स्थिति में, हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता को महानगर टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड के तहत एक साथ बांध दिया गया है।

वी. केनरा बैंक

प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए समिति, 1993। पक्षों के बीच विवाद दिनांकित 10.02.1992 लेनदेन से उत्पन्न हुए, जिसके तहत CANFINA ने एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बांडों की सदस्यता ली है। बाद में कैनफिना ने बॉन्ड को अपनी हिस्सेदारी में स्थानांतरित कर दिया। कंपनी-केनरा बैंक। एम. टी. एन. एल. का तर्क है कि चूंकि सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. ने बॉन्डों के लिए पूरी बिक्री का भुगतान नहीं किया था, इसलिए एम. टी. एन. एल. अंततः बॉन्डों के आवंटन को रद्द करने के लिए विवश था। [पैरा 10.7,10.8] [687-ए; 688-ए-बी]

2.5 केवल विवादों को ही हल करने का व्यर्थ प्रयास होगा।

एम. टी. एन. एल. और केनरा बैंक के बीच, कैनफिना की अनुपस्थिति में, क्योंकि निर्विवाद रूप से, मूल लेनदेन एम. टी. एन. एल. और कैनफिना-बॉन्ड के मूल खरीदार के बीच एक लेनदेन से हुआ था। एम. टी. एन. एल. द्वारा बांडों को इस आधार पर रद्द करने पर विवाद उत्पन्न हुए कि पूरे भुगतान का भुगतान नहीं किया गया था। बॉन्ड जारी करने, कैनफिना द्वारा केनरा बैंक को इसके बाद के हस्तांतरण और एम. टी. एन. एल. द्वारा रद्द किए जाने के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष सांठगांठ है, जिसके कारण तीनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है। इसलिए, कैनफिना निस्संदेह एक है

मध्यस्थता कार्यवाही के लिए आवश्यक और उचित पक्षकार। [पैरा

10.9] [688 - सी-ई]

2.6 लेन-देन की त्रिपक्षीय प्रकृति को देखते हुए, विवादों का अंतिम समाधान तभी हो सकता है जब तीनों पक्ष

अब 26 वर्षों से अधिक समय से लंबित विवादों को अंततः हल करने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल हुए। कैन्फिना ने उच्च न्यायालय और विवाद समिति के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है। एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कैनफिना का प्रतिनिधित्व उसके अलग वकील ने भी किया था। केनरा बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में कैनफिना में शामिल हुआ था, भले ही इसे एक प्रोफार्मा पार्टी के रूप में शामिल किया गया था। कैन्फिना का प्रतिनिधित्व रिट [2019] 11 एस. सी. आर. में वकील द्वारा किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही। द काउंसल फॉर कैन्फिना

हालाँकि दो तिथियों यानी 16.09.2011 और 21.10.2011 पर उपस्थित नहीं थे, जब उच्च न्यायालय ने समझौता दर्ज किया था

मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए पक्षों के बीच। एम. टी. एन. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि केनरा बैंक को इससे पहले कैनफिना की देनदारियों को लेने के लिए सहमत होना चाहिए। मध्यस्थता शुरू हो सकती है। उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया कि मध्यस्थता कार्यवाही से पहले केनरा बैंक को कैनफिना की देनदारियों को लेने के लिए सहमत होने की आवश्यकता नहीं थी। इस मुद्दे का निर्णय मध्यस्थता में किया जाएगा। [पैरा 10.10] [688

ई-एच; 689-ए-बी]

2.7 एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने पर, मध्यस्थ द्वारा सभी को नोटिस जारी किया गया था

कैनफिना सहित तीन पक्ष, जिसका प्रतिनिधित्व उसके वकील ने किया था। कैनफिना को मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किए जाने पर आपत्ति केनरा बैंक द्वारा उठाई गई थी, न कि कैनफिना द्वारा। केनरा बैंक द्वारा विवाद में एक पक्ष के रूप में कैनफिना के शामिल होने का विरोध करने में कोई योग्यता नहीं है। केनरा बैंक ने पत्रों के माध्यम से एक मसौदा मध्यस्थता संलग्न की थी

एम. टी. एन. एल. के लिए समझौता, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मध्यस्थता तीन पक्षों के बीच होगी-केनरा बैंक और कैनफिना पहले भाग के पक्षकार के रूप में और एम. टी. एन. एल. दूसरे भाग के पक्षकार के रूप में। [पारस 10.11-10.13] [689-C-E] 2.8 तत्काल मामला प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निहित या मौन सहमति का एक मामला है-मध्यस्थता में शामिल होने के लिए CANFINA

कार्यवाही, जो पक्षों के आचरण से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना ने पूरे समय एकल मध्यस्थ के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, विवाद समिति के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है, और तत्काल अपील में इस न्यायालय के समक्ष अपने अलग वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। दोनों पक्षों का स्पष्ट इरादा था कि वे केनरा बैंक और उसकी सहायक कंपनी-कैनफिना दोनों को कार्यवाही के लिए बाध्य करें। जब तक तीनों पक्ष मध्यस्थता में शामिल नहीं हो जाते, तब तक विवादों का कोई अंतिम समाधान नहीं हो सकता है। [पैरा 10.14] [689-F-H; 690-A]

2.10 कंपनियों के समूह के सिद्धांत को CANFINA यानी प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में शामिल होने के लिए लागू किया जाता है। केनरा बैंक, एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में। यह मामला एकमात्र मध्यस्थ को महानगर टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड को भेजा जाता है।

वी. केनरा बैंक

मध्यस्थता कार्यवाहियों को जारी रखें और यथासंभव शीघ्रता से उनका समापन करें। [पैरा 11] [690-ए-सी]

O.N.G.C. v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (1995) सप. 4 एस. सी. सी. 541; इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। (2011) 3 एससीसी 404: [2011] 2 एस. सी. आर. 971; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड v. सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक., (2013) 1 एससीसी 641: [2012] 13 एस. सी. आर. 402; एस. ई. आई. अधवन पावर प्रा. लिमिटेड वी. जिनेंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और अन्य। 2018 (4) सीटीसी 46; अमित लाल चंद शाह बनाम। ऋषभ एंटरप्राइजेज, (2018) 15 एससीसी

678 [2018] 6 एस. सी. आर. 1001-संदर्भित।

डाउ केमिकल बनाम। इसोवर-सेंट-गोबेन 1984 रेव अरब 137; 110 जे. डी. आई. 899 (1983) गैरी बी. बोर्नः अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, खंड। आई, 2009, पीपी। 1170-1171 - संदर्भित किया गया।

पर अभय मनोहर सप्रे, जेः (पूरक):

पकड़नाः 1.1 समझौता अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है, अर्थात्, अपीलार्थी, प्रत्यर्थी नं। 1 और कैन्फिना। यह पक्षकारों, अभिवचनों और न्यायालय के आदेशों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है। यह तब भी स्पष्ट होता है जब कोई विवाद की प्रकृति की जांच करता है। ऐसा ही है।

तीन पक्षों के बीच अटूट रूप से जुड़ा हुआ है कि यह हो सकता है

प्रभावी रूप से तभी निर्णय लिया जाता है जब तीनों पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाता है। [पैरा 6,7] [691-ए-बी]

1.2 एक बार जब इस मुद्दे की जांच तथ्यों के आधार पर की जाती है

1.3 चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य विवादों का शीघ्रता से और एक समय सीमा के भीतर निर्णय लेना है, इसलिए यह उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विवादों को एक मध्यस्थता कार्यवाही में यथासंभव हल किया जाए। तत्काल मामले में, यह उद्देश्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सभी तीन पक्षों ने [2019] 11 एस. सी. आर. नाम दिया हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाते हैं ताकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अंततः कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय ले सके। स्पष्ट शब्दों में तथ्य, इस न्यायालय को "कंपनियों के समूह" के प्रसिद्ध सिद्धांत को लागू करने और इस मामले के तथ्यों पर अपने सिद्धांत को लागू करने का अधिकार देते हैं ताकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण को नामित तीन पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम बनाया जा सके। "कंपनियों के समूह" का सिद्धांत मध्यस्थता के लिए लागू होता है।

कार्यवाही और, उचित मामलों में, इसे इस प्रकार लागू किया जा सकता है। [पारस 13,14] [691-एच; 692-ए-सी]

रेडफर्न और हंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता-छठा

एडन पृष्ठ 141 से 153 का उल्लेख किया गया है।

मामला कानून संदर्भ

न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के निर्णय में

(1995) सप. 4 एस. सी. सी. 541

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2.12

[2011] 2 एससीआर 971

पै

रा 2,21

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.3

[1977] 1 एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.4

[1963] 3 एससीआर 183

पै

रा 9.6

संदर्भित किया गया है

[2014] 2 एससीआर 855

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9.7

पै

रा 9.9

[1983] 1 एस. सी. आर 8

संदर्भित किया गया है

(2001) 3 एससीसी 208

पै

रा 9.9

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9.10

2009 (1) अरब एल. आर. 320 (डी. एल.) (डी. बी.) संदर्भित [2012] 13 एससीआर 402

पै

रा 10.6

संदर्भित किया गया है

2018 (4) सीटीसी 46

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.6

[2018] 6 एससीआर 1001

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10.7

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 6202

6205 2019 का

16.09.2011 और 21.10.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में 2011 के सी. एम. सं. 12230 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय का। (ग) 1995 का सं. 560 और उत्तर प्रदेश में 2012 का मुख्यमंत्री सं. 8100 में दिनांकित आदेश। (ग) 1995 का सं. 560 और 2014 में डब्ल्यू. पी. में सीएम सं. 324-25 में दिनांकित 10.01.2014। (ग) 1995 का सं. 560 महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड।

वी. केनरा बैंक

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., सचिन दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मनोज गोरकेला, सुश्री तनिष्ठा सिंह, अविनाश अग्रवाल, संदीप कुमार सिंह, सुश्री शशि किरण, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमीश डबास, विरेश बी. सहारिया। अक्षत अग्रवाल, सुश्री सौम्या सिन्हा, ए. के. शर्मा, ललित कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे. छुट्टी दे दी गई।

1. डब्ल्यू. पी. में पारित दिनांकित 16.09.2011 आदेश को चुनौती देने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं। (ग) 1995 का सं. 560, आदेश 2011 के सी. एम. सं. 12230 में पारित दिनांक आई. डी. 2,2012 के सी. एम. सं. 8100 में पारित आदेश आई. डी. 3 और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के सी. एम. सं. 324 और 325 में पारित आदेश आई. डी. 1।

2. मामले की पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं: 2.1 . 1992 में एम. टी. एन. एल. ने 17 प्रतिशत गैर-संचयी सुरक्षित रिडीमेबल बॉन्ड जारी किए, जिन्हें 6 वीं श्रृंखला (निजी प्लेसमेंट) के रूप में वर्णित किया गया। 425 करोड़। 10.02.1992 पर, एम. टी. एन. एल. ने एक समझौता ज्ञापन समझौते के तहत कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद "कैनफिना" के रूप में संदर्भित) के साथ Rs.200 करोड़ के बांड रखे। रुपये की बांड राशि। 200 एम. टी. एन. एल. द्वारा कोर को सावधि जमा के रूप में रखा गया था

कैन्फिना। कैन्फिना ने रुपये वापस कर दिए। 50 1992 में सावधि जमा के करोड़। रुपये की शेष सावधि जमा राशि। 150 कैन्फिना द्वारा एम. टी. एन. एल. को ब्याज के साथ करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया था। नतीजतन, एम. टी. एन. एल. ने बांड पर ब्याज की सेवा नहीं की। एम. टी. एन. एल. का विचार था कि चूंकि उसे 500 करोड़ रुपये की पूरी बांड राशि प्राप्त नहीं हुई है। 200 करोड़, पूरा सौदा नहीं हुआ। रुपये के भुगतान के विरुद्ध। 50 एम. टी. एन. एल. ने सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. से प्राप्त करोड़ों रुपये के बांडों की सेवा की। 31 जनता के लिए करोड़। एम. टी. एन. एल. का विचार था कि केवल रु. 4. 41 करोड़ का भुगतान किया जाना था।

कैनफिना को, जिसे कैनफिना द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

2.2 . केनरा बैंक के अनुसार, बॉन्ड की सदस्यता लेने के तुरंत बाद, एक सुरक्षा घोटाले का खुलासा हुआ, जिसके कारण शेयरों, प्रतिभूति और [2019] 11 एस. सी. आर. में द्वितीयक बाजार ध्वस्त हो गया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बंधन। द्वितीयक बाजार में बहुत कम खरीदार थे। ऐसे खरीदार भी बहुत कम कीमत की पेशकश कर रहे थे।

इन बंधनों के लिए। इन परिस्थितियों में, कैन्फिना को भारी तरलता संकट का सामना करना पड़ा। 2.3 . इनमें

परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा बैंक ने एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बांडों को रुपये के अंकित मूल्य पर खरीदा। 80 करोड़, प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना से जो इसकी है

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।

इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा बैंक ने एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बांडों को रुपये के अंकित मूल्य से खरीदा। 80 उत्तरदाता संख्या 2-कैनफिना से जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

बैंक ने पत्र में उल्लिखित विभिन्न आधारों पर बॉन्ड को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। एम. टी. एन. एल. ने एक बाद के पत्र दिनांक 16.02.1993 द्वारा केनरा बैंक को सूचित किया कि उसने रुपये के अंकित मूल्य का एक हिस्सा पंजीकृत किया है। 40 करोड़, कैनफिना के पक्ष में। बंधन

हालाँकि उपकरणों को इस आधार पर रखा गया था कि

कैन्फिना रुपये की जमा राशि का भुगतान करने में विफल रही थी। 150 जो एम. टी. एन. एल. को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के उपार्जित ब्याज के साथ देय था। एम. टी. एन. एल. ने दिनांक 20.10.1993 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ सभी बांडों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विचार पत्र

कैन्फिना के साथ रहे।

केनरा बैंक ने अपने जवाब दिनांक 13.01.1994 के माध्यम से तर्क दिया कि वह नियत समय में धारक है, और अपने नाम के शेयरों को पंजीकृत कराने का हकदार है, और जब भी ब्याज देय हो, उसे प्राप्त करता है।

एम. टी. एन. एल. ने सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. के बकाया के लिए बांडों के रद्द होने की आय को समायोजित करके खातों का विवरण भेजा। यह कहा गया था कि बांड और ब्याज गार टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड।

वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

उस पर उपार्जित राशि वापस नहीं की जा सकती है। एम. टी. एन. एल. ने अपने दिनांकित 13.01.1994 के पत्र के साथ रुपये का एक चेक संलग्न किया। 5,41,17,463 केनरा बैंक को देय राशि के रूप में।

दिनांक 10.02.1994, बांडों की बहाली और पंजीकरण की मांग करते हुए। केनरा बैंक ने डब्ल्यू. पी. दायर किया। (सिविल) 1995 की सं. 560 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बांडों को रद्द करने और अर्जित ब्याज का भुगतान करने के निर्देश को चुनौती देने के लिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि कैनरा बैंक द्वारा दायर रिट याचिका में कैनफिना को एक प्रोफार्मा पार्टी के रूप में शामिल किया गया था।

इस न्यायालय के फैसले के आलोक में O.N.G.C. v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त '। रिट याचिका को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 के तहत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

केनरा बैंक ने रिट याचिका की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 12.05.1999 के आदेश के माध्यम से बहाल किया गया था। केनरा बैंक ने कैबिनेट सचिव को एक अभ्यावेदन दिया।

27.03.2001 पर, कैबिनेट सचिवालय, मुकदमेबाजी प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता

कैबिनेट सचिव, और इसमें एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और कैनफिना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति ने केनरा बैंक, कैनफिना और एम. टी. एन. एल. को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा करने का निर्देश दिया।

4 एससीसी 541।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक उद्यम विभाग में कार्यरत मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी के लिए एक उपयुक्त संदर्भ। समिति ने केनरा बैंक, कैनफिना और एम. टी. एन. एल. को अदालत में मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी।

. 16 . दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.05.2008 के आदेश के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों को विवाद समिति को भेज दिया। रिट याचिका को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। केनरा बैंक को इस स्थिति में याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी कि विवाद समिति मामले को हल करने में असमर्थ थी।

पक्षों के बीच विवाद।

. 17 . विवाद समिति ने 16.12.2008 पर एक बैठक की, जिसमें एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और कैनफिना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति ने पक्षों को सुनने के बाद यह विचार व्यक्त किया कि तीनों पक्षों को अलग-अलग मामलों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता का सहारा लेना चाहिए।

उनके बीच अंतर-संबद्ध लेनदेन।

केनरा बैंक के प्रतिनिधियों ने आशंका व्यक्त की कि मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी द्वारा मध्यस्थता में न्यायिक उपाय की तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा।

समिति ने कहा कि मध्यस्थता में तेजी लाने के लिए पक्षों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत जल्द से जल्द मध्यस्थता समझौता करना चाहिए।

. 18 . 16.12.2008 पर आयोजित बैठक के अनुसार, केनरा बैंक ने अपने दिनांकित 05.03.2009 पत्र के माध्यम से एम. टी. एन. एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को मध्यस्थता समझौते का मसौदा भेजा। केनरा बैंक द्वारा भेजे गए मध्यस्थता समझौते का मसौदा एक तरफ केनरा बैंक और कैनफिना के बीच था, जबकि दूसरी तरफ एम. टी. एन. एल. था।

. 19 . केनरा बैंक ने दिनांक 17.03.2010 के पत्र द्वारा उप सचिव, कैबिनेट सचिवालय से एम. टी. एन. एल. को सलाह देने का अनुरोध किया

के अनुसार मध्यस्थता समझौते को निष्पादित करें

विधि और न्याय मंत्रालय का निर्देश।

. 20 . दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से लंबित रिट याचिका का इस टिप्पणी के साथ निपटारा किया कि मामले को विवाद समिति जी. ए. आर. टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लिमिटेड द्वारा हल किया जाना चाहिए।

वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

O.N.G.C में निर्णय। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (उपरोक्त) को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम में एक संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। संघ का भारत & Ors.[2]

तदनुसार, केनरा बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

यू/एस। 151 , निपटाई गई रिट याचिका की बहाली के लिए सी. पी. सी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को बहाल किया, और दिनांकित 16.09.2011 आदेश के माध्यम से नोट किया कि दो प्रमुख मुद्दे जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं वे हैं: (i) क्या केनरा बैंक इन कृत्यों के लिए उत्तरदायी है या

कैन्फिना की चूक; और

((ii) क्या केनरा बैंक को देनदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए और उन्हें मध्यस्थता समझौते में ही स्वीकार करना चाहिए।

कार्यवाही के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि ये मुद्दे हो सकते हैं -

मध्यस्थता के लिए संदर्भित। पक्षों से सुझाव देने का अनुरोध किया गया था

सुनवाई की अगली तारीख को नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ का नाम। आई. डी. 1 पर केनरा बैंक के वकील ने न्यायमूर्ति ए. पी. शाह (सेवानिवृत्त) का नाम सुझाया, जिसे एम. टी. एन. एल. के वकील ने स्वीकार कर लिया।

तदनुसार, श्री न्यायमूर्ति ए. पी. शाह (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया।

05.01.2012 पर, एकमात्र मध्यस्थ ने तीनों पक्षों यानी एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. को नोटिस जारी किया। केनरा बैंक ने मध्यस्थता में एक पक्ष के रूप में कैनफिना में शामिल होने पर आपत्ति जताई। मध्यस्थ ने इस मुद्दे पर 27.03.2012 पर पक्षों को सुना कि क्या CANFINA होना चाहिए

कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए।

सी404।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान मध्यस्थ ने एक अंतरिम निर्णय पारित करते हुए कहा कि जब विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, तब CANFINA उच्च न्यायालय के समक्ष 16.09.2011 पर उपस्थित नहीं हुआ था। कैनफिना मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष नहीं था, और कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

2.26 . एम. टी. एन. एल. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 का सी. एम. सं. 8100 दाखिल किया।

अदालत ने दिनांकित 16.09.2011 के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा, कि क्या CANFINA को आवश्यक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

मध्यस्थता समझौते का पक्षकार।

दिल्ली अदालत ने दिनांक 05.07.2013 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि उनके द्वारा दिए गए बयान पर "दबाव नहीं डाला गया"।

एम. टी. एन. एल. के वकील।

2.27 . केनरा बैंक ने विद्वानों के समक्ष अपना दावा विवरण दाखिल किया

06.12.2013 पर एकमात्र मध्यस्थ।

2.28 . एम. टी. एन. एल. ने आई. ए. सं. दाखिल किया। 324-325 दिल्ली से पहले 2014 का

उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. में पारित 16.09.2011,21.10.2011 और 05.07.2013 दिनांकित आदेशों को वापस लेने के लिए। (ग) सं. 560

1995 .

2.29 . दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10.01.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से,

रिकॉल के लिए आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदन एम. टी. एन. एल. द्वारा पहले दायर किए गए आवेदन के समान था जो 2012 का सी. एम. संख्या 8100 था। चूँकि एम. टी. एन. एल. ने पहले के आवेदन पर जोर नहीं दिया था, इसलिए बाद के आवेदन की प्रकृति समान होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका, और

बर्खास्त कर दिया।

2.30 . मई 2014 में एम. टी. एन. एल. ने केनरा बैंक द्वारा दायर दावे के विवरण पर अपना जवाब दाखिल किया और एक जवाबी-दावा भी किया।

केनरा बैंक के खिलाफ।

3. दिनांकित 16.09.2011,21.10.2011 आदेशों से व्यथित,

. 2013 , और 10.01.2014 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. में पारित किया गया। (ग) 1995 का 60,2011 का सी. एम. सं. 12230,2012 का सी. एम. सं. 8100 और 2014 का सं. 324 और 325 क्रमशः, अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. ने दायर किया।

विशेष अवकाश याचिका का विरोध करें। यह न्यायालय दिनांकित आदेश के माध्यम से

2014 कैन्फिना सहित सभी उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया

उत्तरदाता संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया है।

आई. ए. एन. ए. आर. टेलीफ़ोन एन. आई. जी. ए. एम. लि. वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

4. एम. टी. एन. एल. की ओर से सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी. उपस्थित हुईं।

मीश डबास, विद्वान वकील उत्तरदाता संख्या 1 के लिए उपस्थित हुए

आरा बैंक और सुश्री सौम्या सिन्हा के साथ श्री ए. के. शर्मा,

एड काउंसल उत्तरदाता संख्या 2-कैनफिना के लिए उपस्थित हुए।

5. अपीलार्थी के वकील-एम. टी. एन. एल. ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया

देर:

5.1 . मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अभाव में

धारा 2 (बी) आर. डब्ल्यू. द्वारा निर्धारित पक्षों के बीच। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के 2 (ज) और 7 (3),

मध्यस्थता आगे नहीं बढ़ सकती।

5.2 . वे विवाद जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था

एक ओर अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. और दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2-केनरा बैंक और

दूसरी ओर कैन्फिना।

5.3 . मध्यस्थता कार्यवाही अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकती है।

प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना के बॉन्ड के रूप में प्रश्न में प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना द्वारा अभिदान किया गया था, और बाद में इसकी मूल कंपनी यानी प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 2-सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. की अनुपस्थिति में मध्यस्थता के लिए एक पक्ष बनाया जा रहा है, मध्यस्थता कार्यवाही कर सकते हैं

निष्फल बनाया जाए।

5.4 . पक्षों के बीच एकमात्र मौजूदा मध्यस्थता समझौता,

केनरा बैंक द्वारा अग्रेषित एक त्रिपक्षीय समझौते का मसौदा है जिसमें एम. टी. एन. एल. और सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. दोनों को पक्ष बनाया गया था।

5.5 . दोनों के बीच कोई कानूनी संबंध या अनुबंध की गोपनीयता नहीं है।

अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. और प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा

विवादित बॉन्ड के रूप में बैंक को अपीलार्थी से खरीदा गया था

- प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एम. टी. एन. एल.-कैन्फिना।

अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. ने इस समझ पर मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले विवादों पर सहमति व्यक्त की थी कि

मध्यस्थता तीनों पक्षों के बीच होगी।

6. प्रतिवादी नंबर 1 केनरा बैंक के लिए वकील अन्य बातों के साथ

उन्होंने कहा किः

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6.1 . वर्तमान अपील अपीलार्थी के रूप में विचारणीय नहीं है -

एम. टी. एन. एल. ने विद्वान एकल मध्यस्थ के समक्ष दावा और प्रतिवाद-दावे के विवरण पर अपना जवाब दाखिल करने के बाद वर्तमान अपील दायर की और इसलिए स्वयं को मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत किया है।

विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र।

6.2 .

अपीलार्थी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय-एम. टी. एन. एल. था

मध्यस्थता की धारा 16 के तहत आवेदन दायर करें और सुलह अधिनियम, 1996।

6.3 . उत्तरदाता संख्या 2-कैन्फिना को केवल एक के रूप में शामिल किया गया था

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका में पक्षकार न्यायालय, और इसलिए इसके समक्ष पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है

मध्यस्थता कार्यवाही।

6.4 .

मध्यस्थता और नियुक्ति के लिए सहमति देने के समय

कैन्फिना 16.09.2011 पर अदालत के समक्ष नहीं थी और 21.10.2011 .

6.5 . अपीलकर्ता-एम. टी. एन. एल. ने इसके खिलाफ कोई दावा दायर नहीं किया है।

प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना, और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना के खिलाफ कोई उपाय या राहत नहीं ले सकता है।

इस विलंबित चरण में। इसके अलावा, इसे पक्षकार के खिलाफ कोई दावा किए बिना अभियोग का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है, और गौर किया है

प्रस्तुत किए गए नेतृत्व और लिखित प्रस्तुतियाँ।

8. मुद्दे

दो मुद्दे हैं जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न हुए हैं: ((i)

अपीलार्थी द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा-एम. टी. एन. एल.

तीन पक्षों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौते की स्थापना; (ii) दूसरा मुद्दा प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा बैंक द्वारा उठाया गया है।16.09.2011 और 21.10.2011 दिनांकित आदेश केनरा बैंक एम. टी. एन. एल. के बीच है। प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना, पक्षकार नहीं है

ए. टी. आई. एन. समझौता, और इसलिए कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता है।

इन मुद्दों को क्रमिक रूप से निपटाया जाएगा।

महानगर टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

9. वैध प्रत्यर्पण समझौते का अस्तित्व

एक वैध मध्यस्थता समझौता एक मध्यस्थता का केंद्र होता है। एक मध्यस्थता समझौता पक्षों के बीच लिखित समझौता है,

अपने मौजूदा, या भविष्य के विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना। एक वैध मध्यस्थता समझौता वह आधारशिला है जिस पर संपूर्ण

मध्यस्थ प्रक्रिया का भवन संरचित है। के लिए एक बाध्यकारी समझौता

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाने वाले विवाद अनिवार्य हैं।

9.1 . धारा 7 "मध्यस्थता समझौते" को परिभाषित करती है और निम्नानुसार पढ़ती है:

7. मध्यस्थता समझौता।

(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है -

पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए समझौता सभी या

कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो उत्पन्न हो सकते हैं

उनके बीच एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है।

समझौता।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह निहित है।

में

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज; (ख) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जो एक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

समझौते का; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है

एक पक्ष और दूसरे द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया।

(5) वहाँ एक अनुबंध में एक दस्तावेज़ का संदर्भ है जिसमें

एक मध्यस्थता खंड एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि

अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि मध्यस्थता खंड अनुबंध का हिस्सा है।

9.2 .

मध्यस्थता समझौता किसी विशेष रूप में होने की आवश्यकता नहीं है।

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पक्षकार मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को निपटाने का इरादा रखते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

मध्यस्थता समझौते के आवश्यक तत्व या विशेषताएँ

उनके विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का समझौता है, जो एक समझौते, अलग समझौते, या पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों/पत्राचार में एक खंड से स्पष्ट रूप से या निहित रूप से लिखा गया है।

1996 के अधिनियम की धारा 7 (4) (बी) में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौता पत्रों के आदान-प्रदान से प्राप्त किया जा सकता है।

तार या संचार के अन्य साधन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल हैं। 2015 के संशोधन अधिनियम ने धारा 7 (4) (बी) में "इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार सहित" शब्दों को शामिल किया। यदि यह प्रथम दृष्टया दिखाया जा सकता है कि पक्ष विज्ञापन पहचान हैं, भले ही दूसरे पक्ष के पास नहीं हो सकता है

एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, यह उसे समझौते 3 के तहत दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता है।

मध्यस्थता समझौतों का अर्थ कानूनों, वैधानिक उपकरणों और अन्य संविदात्मक दस्तावेजों के निर्माण के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार किया जाना है। पक्षों के इरादे का अनुमान शर्तों से लगाया जाना चाहिए

पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध के अस्तित्व का पता लगाने के लिए अनुबंध, पक्षों का आचरण और पत्राचार का आदान-प्रदान। यदि अभिलेख पर दस्तावेजों से पता चलता है कि पक्षकार वास्तविक थे, और वास्तव में सभी भौतिक शर्तों पर एक समझौते पर पहुंच गए थे, तो यह होगा

एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाता है।

एक वाणिज्यिक दस्तावेज की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए - समझौते को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावी बनाने के लिए। एक 'मध्यस्थता समझौता' एक वाणिज्यिक दस्तावेज है, और इसकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि इसे तकनीकी आधार पर अमान्य करने के बजाय पक्षों के इरादे को प्रभावी बनाया जा सके।

ईआर लिमिटेड वी. लुई ड्रेरफस कमोडिटीज एशिया (पी) लिमिटेड, (2015) 13 एस. सी. सी. 477 आई. ए. वी. डी. एन. रेवरी एंड कंपनी, (1976) 4 एस. सी. सी. 147।

गार टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

खारदाह कंपनी लिमिटेड बनाम। रेमन एंड कंपनी (भारत)

प्रा. Ltd.5, यह न्यायालय एक की शर्तों का पता लगाते हुए

पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते में कहा गया था कि:

" यदि समग्र रूप से दस्तावेज़ को पढ़ने पर, यह कर सकता है

वास्तव में यहाँ उपयोग किए गए शब्दों से उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जाए,

कि पक्ष एक विशेष अवधि पर सहमत हुए थे, वहाँ

कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें स्थापित करने से रोकता हो उस शब्द को। किसी अनुबंध की शर्तों को व्यक्त किया जा सकता है या

जो व्यक्त किया गया है उससे निहित है। वह इसमें है

अंतिम विश्लेषण, निर्माण का एक सवाल

अनुबंध '।

(जोर दिया गया)

मध्यस्थता समझौते की व्याख्या करने या उसका अर्थ निकालने में या

मध्यस्थता खंड, यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह

कानून की अनुमेय सीमाओं के भीतर वही व्यवहार्य। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य मामलों में यह न्यायालय। वी. एनरकॉन

जी. एम. बी. एच. 6 ने माना कि एक सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण होना चाहिए पक्षों के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए अपनाया गया

उनके बीच विवादों का निपटारा करें। एक व्यापारी होने के नाते अनुबंध, मध्यस्थता खंड को एक के साथ नहीं माना जा सकता है

विशुद्ध रूप से कानूनी मानसिकता, जैसा कि एक क़ानून के मामले में होता है।

इस मामले में एम. टी. एन. एल. ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि

पक्षकारों के बीच लिखित में कोई मध्यस्थता समझौता नहीं था, कार्यवाही के इस चरण में।

हम पहले इस मुद्दे को सुलझाएँगे। के बीच समझौता

आदान-प्रदान किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से इसका प्रमाण मिलता है पक्षकारों और कार्यवाही के बीच:

(i) बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27.03.2001 बुलाए गए

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा, जिसमें तीनों पक्ष

वे उपस्थित थे और कार्यवाही में भाग लिया। द. दिनांकित बैठक में विवाद समिति

16.12.2008 यह विचार व्यक्त किया कि तीनों पक्ष

को देखते हुए मध्यस्थता का सहारा लेना चाहिए

आर 183।

सी1।

उनके बीच अलग-अलग अंतर-पसंद लेनदेन। केनरा बैंक ने सुझाव दिया कि मध्यस्थता में तेजी लाने के लिए इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत संचालित किया जाना चाहिए। इसे एम. टी. एन. एल. ने स्वीकार कर लिया था और कोई आपत्ति नहीं थी।

उठाया गया।

ओ मंत्रिमंडल द्वारा संचालित कार्यवाही के अनुसार

सचिवालय, केनरा बैंक ने दिनांकित पत्रों को संबोधित किया

05.03.2009 और एम. टी. एन. एल. को 17.03.2010, जिसमें यह

मध्यस्थता समझौतों का एक मसौदा संलग्न किया गया है, जिसमें तीनों पक्ष अर्थात केनरा बैंक, कैनफिना और एम. टी. एन. एल. मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल होंगे।

1) केनरा बैंक द्वारा दायर रिट याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से 1996 के अधिनियम के तहत एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एम. टी. एन. एल. और केनरा बैंक की सहमति दर्ज की।

दिनांकित 16.09.2011 आदेश का प्रासंगिक उद्धरण

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

" दुर्भाग्य से, हालांकि पार्टियों ने प्रदर्शित किया था

मध्यस्थता के लिए उनकी इच्छा, समिति पर

विवाद विशिष्ट खंडों का समाधान नहीं कर सके

मध्यस्थता समझौता। न ही पार्टियों ने किया है

के संबंध में एक सहमति पर पहुंचने में सक्षम

मध्यस्थता समझौते के विशिष्ट खंड। के रूप में

दिनांकित 01.10.2010 आदेश में उल्लिखित, के अनुसार

याचिकाकर्ता, यह मध्यस्थता का विषय है कि क्या

याचिकाकर्ता के कृत्यों या चूक के लिए उत्तरदायी है

कैन्फिना। हालांकि, उत्तरदाता जोर दे रहे थे

कि याचिकाकर्ताओं को संभालने के लिए सहमत होना चाहिए

देनदारियाँ और उन्हें मध्यस्थता समझौते में स्वीकार करें स्वयं। अब दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि इन दोनों मुद्दों को संसद का विषय बनाया जा सकता है।

मध्यस्थता, अर्थात्, क्या याचिकाकर्ता उत्तरदायी है

कैन्फिना के कृत्यों या चूक के लिए और क्या

याचिकाकर्ता की देनदारियों को लेने के लिए उत्तरदायी है

कैन्फिना। अब इसकी आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता की देनदारियों को संभालने के लिए सहमत होना

मध्यस्थता कार्यवाही से पहले CANFINA GAR TELEFHONE NIGAM Ltd.

वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

मध्यस्थता के दौरान निर्णय लिया जाए। भले ही याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रखा है

हमारे सामने सर्वोच्च के बाद के निर्णय

शक्तियों के दायरे और दायरे के संबंध में न्यायालय

विवाद समिति, हम बना रहे हैं

वर्तमान आदेश क्योंकि पार्टियों के पास स्वयं है

उनके विवादों का समाधान करें। यह स्वागत योग्य है क्योंकि दोनों पार्टियाँ सार्वजनिक उपक्रम हैं। पक्षों के लिए वकील

मध्यस्थों के नाम सुझाएंगे।

(जोर दिया गया)

(iv) इसके अनुसार, एम. टी. एन. एल. ने कार्यवाही में भाग लिया।

एकमात्र मध्यस्थ द्वारा संचालित, और अपना दावा दायर किया,

और प्रतिवाद-दावा। इससे पहले कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

एकमात्र मध्यस्थ कि कोई मध्यस्थता नहीं थी

पक्षों के बीच लिखित समझौता। एकमात्र आपत्ति यह थी कि कैनफिना को शामिल किया जाना चाहिए

कार्यवाही में एक आवश्यक पक्ष के रूप में।

न्यायिक आदेश में दर्ज पक्षों के बीच समझौता अंतिम और किए गए समझौते का निर्णायक होता है।

दलों के बीच। अपीलार्थी-एम. टी. एन. एल. ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अपनी सहमति देने के बाद, अब यह तर्क देने से इनकार कर दिया है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई लिखित समझौता नहीं था।

एम. टी. एन. एल. द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त आधार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 (4) (सी) पर आधारित है।

धारा 7 (4) (सी) में प्रावधान है कि मध्यस्थता हो सकती है।

दावों और बचाव के बयान के आदान-प्रदान के रूप में समझौता, जिसमें समझौते के अस्तित्व पर एक पक्ष द्वारा जोर दिया जाता है, और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। 8

राष्ट्र वी. रामदास श्रीनिवास नायक (1982) 2 एससीसी 463। रा कुमारी बनाम। भारत संघ (2001) 3 एस. सी. सी. 208।का वी। कांति भाई दामिनी और अन्य। , 2009 (1) ए. आर. बी. एल. आर. 320 (डी. बी.)।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में केनरा बैंक ने मध्यस्थ के समक्ष अपना दावा विवरण दाखिल किया था और एम. टी. एन. एल. ने अपना जवाब दाखिल किया था।

दावे का बयान, और एक जवाबी दावा भी किया

केनरा बैंक के खिलाफ।

मध्यस्थ के समक्ष दायर दावा और बचाव का बयान एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का प्रमाण होगा, जिसे दूसरे द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। पक्षकार, 1996 के अधिनियम की धारा 7 (4) (सी) के तहत।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, एम. टी. एन. एल. द्वारा उठाई गई आपत्ति किसी भी योग्यता से रहित है, और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

सैन्य प्रक्रियाओं में कैन्फिना का भोजन

केनरा बैंक ने मध्यस्थता कार्यवाही के लिए एक पक्ष के रूप में प्रतिवादी संख्या 2-कैनफिना के जॉइंडर पर आपत्ति जताई। अनुबंध कानून के सिद्धांतों के अनुसार, एक समूह की कंपनियों में से एक द्वारा किया गया समझौता, उसी समूह के अन्य सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है, जैसा कि प्रत्येक कंपनी के लिए होता है।

एक अलग कानूनी इकाई है जिसके अलग कानूनी अधिकार और देनदारियाँ हैं।

मूल, या सहायक कंपनी, एक समझौते में प्रवेश करती है, जब तक कि एजेंसी या प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करती है, एक समूह में एकमात्र इकाई होगी, जो उस समझौते से बाध्य होगी।

इसी तरह, एक मध्यस्थता समझौता भी उन्हीं सिद्धांतों द्वारा शासित होता है, और आम तौर पर, प्रवेश करने वाली कंपनी

समझौते में, केवल इसके द्वारा बाध्य होगा।

एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता "कंपनियों के समूह" सिद्धांत के आधार पर एक मध्यस्थता समझौते से बाध्य हो सकता है, जहां पक्षों का आचरण हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों को बाध्य करने के लिए पक्षों के स्पष्ट इरादे का प्रमाण देता है। पार्टियाँ।

न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने इस सिद्धांत को समूह के एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता सदस्य में शामिल होने के लिए लागू किया है, यदि वे संतुष्ट हैं कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता कंपनी पक्षों के सामान्य इरादे के संदर्भ में एक आवश्यक पक्ष थी। अनुबंध।

गार टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

'कंपनियों के समूह' के सिद्धांत की उत्पत्ति में थी

1970'फ्रांसीसी मध्यस्थता अभ्यास से। द 'ग्रुप ऑफ

कंपनियों का सिद्धांत एक के लिए निहित सहमति को इंगित करता है आधुनिक बहु-पक्षीय के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए समझौता

व्यावसायिक लेन-देन।

यह पहली बार डॉव केमिकल के मामले में प्रस्तावित किया गया था।

वी. इसोवर-सेंट-गोबेन ', जहाँ मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि:

" ..... कुछ लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया मध्यस्थता खंड

उक्त खंडों वाले अनुबंध, और तदनुसार सभी पक्षों के आपसी इरादे से

कार्यवाहियाँ, वास्तविक पक्षकार प्रतीत होती हैं

ये अनुबंध या मुख्य रूप से संबंधित थे

उनके द्वारा और जिन विवादों को वे जन्म दे सकते हैं।

'ग्रुप ऑफ कंपनीज' सिद्धांत को लागू किया गया है

मध्यस्थता में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा, जहाँ एक मध्यस्थता

में से एक कंपनी द्वारा समझौता किया जाता है

समूह; और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी, या बहन, या मूल संस्था, को मध्यस्थता समझौते से बाध्य माना जाता है, यदि

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि

दोनों पक्षों को बांधने का सभी पक्षों का आपसी इरादा था

समूह में हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी।

इस सिद्धांत में यह प्रावधान किया गया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक मध्यस्थ सहमति से बाध्य हो सकता है, जहां मूल या धारक कंपनी, या कंपनियों के समूह का एक सदस्य है।

मध्यस्थता समझौते के लिए हस्ताक्षरकर्ता और समूह पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता इकाई बातचीत में लगी हुई है या

वाणिज्यिक अनुबंध का निष्पादन, या किया गया

अनुबंध द्वारा बाध्य होने के अपने इरादे का संकेत देने वाले बयान,

गैर-हस्ताक्षरकर्ता भी बाध्य और लाभान्वित होगा

प्रासंगिक अनुबंध। 10 "

बी 137; 110 जे. डी. आई 899 (1983)।

आई. सी. सी. मामला सं. 4131, IX YB कॉम आर. बी. 131 (1984) में rd; आईसीसी 3,115 जे. डी. आई. (क्लूनेट) 1206 (1988) में पुरस्कार।

B. जन्म लेना: अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, खंड। आई, 2009, पीपी।

सी आर।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वे परिस्थितियाँ जिनमें 'कंपनियों का समूह'

किसी मूल कंपनी के गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगी को बांधने के लिए या किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है।

मध्यस्थता, यदि पक्षकार के बीच सीधा संबंध है

जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है; विषय की प्रत्यक्ष समानता; की समग्र प्रकृति

पक्षों के बीच लेनदेन।

और पूरक या सहायक का प्रदर्शन समझौता, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और सामूहिक रूप से

विवाद पर असर डालना।

ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक-ट्राइन को उन मामलों में भी लागू किया गया है जहां मजबूत संगठनात्मक और वित्तीय संबंधों के साथ एक तंग समूह संरचना है, ताकि एक एकल आर्थिक इकाई, या एक एकल आर्थिक वास्तविकता का गठन किया जा सके। ऐसी स्थिति में मध्यस्थता समझौते के तहत हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक साथ बंधे हुए हैं। यह विशेष रूप से तब लागू होगा जब एक कंपनी के धन का उपयोग वित्तीय रूप से सहायता करने या अन्य सदस्यों को फिर से गठित करने के लिए किया जाता है।

समूह। 11

एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक समझौता। हाल ही में, इस न्यायालय ने अमित लाल चंद शाह बनाम. ऋषभ एंटरप्राइजेज, 13 एक घरेलू में कंपनियों के समूह के सिद्धांत को लागू किया

1996 अधिनियम के भाग I के तहत मध्यस्थता।

0.4131 1982 का आई. सी. सी. मामला सं. 1988 का 5103।

सी 641।

उच्च न्यायालय ने एस. ई. आई. अधवन पावर प्रा. लि. में कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू किया है। लिमिटेड वी. जिनेंग स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी 018 (4) सीटीसी 46।सीसी 678।

21 दिसंबर 1993 को लोकसभा के लिए चुने गए।

गार टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड. वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, कैनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कैनफिना की स्थापना की गई थी। यह

प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेन-देन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट, 1993 से स्पष्ट है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

" कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

6.14 कैनफिना की स्थापना केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी और इसने 1 जून, 1987 को बैंगलोर में अपने मुख्य कार्यालय के साथ अपना संचालन शुरू किया था। इसकी अधिकृत और चुकता पूंजी रु। 50 करोड़ और

रु. 10 क्रमशः करोड़। इसमें ज्यादातर केनरा बैंक के कर्मचारी थे और बैंगलोर के अलावा अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और नई दिल्ली में इसकी शाखाएँ हैं। चूंकि बोर्ड में ज्यादातर केनरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं और इसके मुख्य कार्यकारी भी उस बैंक (प्रतिनियुक्ति पर) के एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इसलिए कंपनी मूल बैंक की छत्रछाया में काम करती है; इसके अलावा यह जानकारी के लिए केनरा बैंक के बोर्ड को अपने कामकाज पर आवधिक विवरणी प्रस्तुत करती है।

6.15 कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों में उपकरण पट्टे पर देना, व्यापारी-बैंकिंग, उद्यम पूंजी और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। कंपनी ने शुरू में अपने स्वामित्व वाले धन का एक बड़ा हिस्सा तैनात किया था।

और उपकरण पट्टे पर देने वाले व्यवसाय में जमा और भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त कंपनी विभाग से 'उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी' का वर्गीकरण प्राप्त किया; यह वर्गीकरण कंपनी को अपनी स्वामित्व वाली निधि के दस गुना तक सार्वजनिक जमा जुटाने का अधिकार देता है।

6.25 समिति को उम्मीद है कि केनरा बैंक द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की प्रकृति और सीमा ऐसी है जो इस पर उचित हो सकती है।

विवेकपूर्ण वाणिज्यिक मानदंड। इसके अलावा मूल बैंक को उसकी सहायक कंपनी की विभिन्न अनियमितताओं की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए

लेन-देन दिनांक 10.02.1992, जिसके तहत CANFINA ने एम. टी. एन. एल. द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की सदस्यता ली। कैन्फिना

बाद में बॉन्ड को उसकी होल्डिंग कंपनी-केनरा बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया। एम. टी. एन. एल. का तर्क है कि चूंकि सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. ने बॉन्डों के लिए पूरी बिक्री का भुगतान नहीं किया था, इसलिए एम. टी. एन. एल. अंततः बॉन्डों के आवंटन को रद्द करने के लिए विवश था।

कैन्फिना की अनुपस्थिति में केवल एम. टी. एन. एल. और केनरा बैंक के बीच विवादों को हल करने का एक व्यर्थ प्रयास होगा।

चूंकि निर्विवाद रूप से, मूल लेन-देन एम. टी. एन. एल. और सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. के बीच एक लेन-देन से हुआ-मूल

बॉन्ड का खरीदार। विवाद उत्पन्न हुए कि

एम. टी. एन. एल. द्वारा बांडों को इस आधार पर रद्द करना कि

पूरा भुगतान नहीं किया गया था।

जारी करने के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष संबंध है

बांडों का, इसके बाद कैन्फिना द्वारा हस्तांतरण केनरा बैंक और एम. टी. एन. एल. द्वारा रद्द किए जाने से तीनों पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया है।

इसलिए, कैनफिना निस्संदेह एक आवश्यक और आवश्यक है।

मध्यस्थता कार्यवाही के लिए उचित पक्षकार।

. लेन-देन की त्रिपक्षीय प्रकृति को देखते हुए, विवादों का अंतिम समाधान तभी हो सकता है जब तीनों पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल हो जाएं, ताकि 26 वर्षों से अधिक समय से लंबित विवादों को अंततः हल किया जा सके।

यह ध्यान देने योग्य है कि कैन्फिना ने उच्च न्यायालय और विवाद समिति के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है। कैनफिना का प्रतिनिधित्व भी इसके द्वारा किया गया था

एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष अलग वकील। केनरा बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 560 में प्रत्यर्थी सं. 2 के रूप में सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. में शामिल

हुआ था, भले ही इसे एक अनौपचारिक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित कार्यवाही में वकील ने कैन्फिना का प्रतिनिधित्व किया था।

अदालत। हालांकि कैन्फिना के लिए वकील नहीं था

दो तिथियों पर प्रस्तुत किया जाता है अर्थात 16.09.2011 और 21.10.2011 पर, जब उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए पक्षों के बीच समझौते को दर्ज किया।

एम. टी. एन. एल. के पास गार टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड था। वी. केनरा बैंक [इंदू मल्होत्रा, जे.]

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थता शुरू होने से पहले केनरा बैंक को कैनफिना की देनदारियों को लेने के लिए सहमत होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया कि मध्यस्थता कार्यवाही से पहले केनरा बैंक को कैनफिना की देनदारियों को लेने के लिए सहमत होने की आवश्यकता नहीं थी। इस मुद्दे का निर्णय मध्यस्थता में किया जाएगा।

. एकल मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होने पर, एकल मध्यस्थ द्वारा सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. सहित सभी तीन पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, जो था

उसके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

..... हम पाते हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में कैनफिना को शामिल किए जाने पर आपत्ति केनरा बैंक द्वारा उठाई गई थी, न कि कैनफिना द्वारा।

. हम कैनरा बैंक द्वारा विवाद में एक पक्ष के रूप में कैनफिना के शामिल होने का विरोध करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। केनरा बैंक ने 05.03.2009 और 17.03.2010 दिनांकित पत्रों के माध्यम से एम. टी. एन. एल. को एक मध्यस्थता समझौते का मसौदा संलग्न किया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मध्यस्थता

तीन पक्षों के बीच होगा अर्थात केनरा बैंक और

कैन्फिना पहले भाग की पार्टी के रूप में, और एम. टी. एन. एल. की पार्टी के रूप में

दूसरा भाग।

यह समझ से बाहर है कि केनरा बैंक अब आपत्ति क्यों कर रहा है।

मध्यस्थता में कैन्फिना को शामिल करने के लिए

कार्यवाही। केनरा बैंक के वकील द्वारा अभियोग का विरोध करने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है

मध्यस्थता कार्यवाही में CANFINA का।

. वर्तमान मामला मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल किए जाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2-CANFINA द्वारा निहित या मौन सहमति का है, जो पक्षों के आचरण से स्पष्ट है। हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2-कैन्फिना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद समिति के समक्ष एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है और वर्तमान अपील में इस न्यायालय के समक्ष उसके अलग वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। वहाँ था।

केनरा बैंक और उसकी सहायक कंपनी-कैनफिना दोनों को कार्यवाही के लिए बाध्य करने का पक्षों का स्पष्ट इरादा।

जब तक तीनों पक्ष मध्यस्थता में शामिल नहीं हो जाते, तब तक विवादों का कोई अंतिम समाधान नहीं हो सकता है।

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलें हैं -

आंशिक रूप से अनुमति। हम एकल मध्यस्थ के समक्ष लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 2-कैनफिना यानी प्रत्यर्थी संख्या 1-केनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में शामिल होने के लिए कंपनी समूह के सिद्धांत का आह्वान करते हैं।

इस मामले को मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखने और इसे जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाता है। हालाँकि, हमने विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. मुझे अपने सम्मानित द्वारा प्रस्तावित एक विस्तृत, सुविचारित और विद्वतापूर्ण मसौदा निर्णय से गुजरने का लाभ मिला है।

सिस्टर जस्टिस इंदु मल्होत्रा।

2. मैं पूरी तरह से उस तर्क और निष्कर्ष से सहमत हूं, जो मेरी विद्वान बहन ने निकाला है, जो उल्लेखनीय रूप से स्पष्ट पर आधारित हैं।

4. पहला, क्या विचाराधीन मध्यस्थता समझौता एम. टी. एन. एल. (इसमें अपीलकर्ता) और केनरा बैंक (प्रतिवादी संख्या 1) के बीच एक द्विदलीय समझौता है या यह एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. (प्रतिवादी संख्या 2) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है और, यदि ऐसा है, तो क्या समझौता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संदर्भित) की धारा 7 (4) (बी) और (सी) में निर्धारित शर्तों को पूरा करता है। " अधिनियम ") ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण समझौते के संबंध में इन पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद का निर्णय करने में सक्षम हो सके।

5. दूसरा, यदि पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि विचाराधीन समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है, तो क्या CANFINA भी एक समझौता है?

के अधिकारों को तय करने के लिए मध्यस्थता कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्षकार विवाद के संबंध में पक्षकार आपस में बात करते हैं।

महानगर टेलीफ़ोन नाइगम लिमिटेड वी. केनरा बैंक [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

6. मेरी सुविचारित राय में भी, विचाराधीन समझौता अनिवार्य रूप से पक्षों, अर्थात् एम. टी. एन. एल., केनरा बैंक और सी. ए. एन. एफ. आई. एन. ए. के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। वास्तव में, यह पक्षकारों, अभिवचनों और न्यायालय के आदेशों के बीच आदान-प्रदान किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है। 7. यह तब भी स्पष्ट होता है जब कोई विवाद की प्रकृति की जांच करता है। यह तीनों पक्षों के बीच इतना अटूट रूप से जुड़ा हुआ है कि यह प्रभावी रूप से हो सकता है

निर्णय तभी लिया जाता है जब तीनों पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार बनाया जाता है।

8. एक बार जब हम आवश्यकताओं के आलोक में तथ्यों पर मुद्दे की जांच करते हैं

ऊपर उल्लिखित तीनों पक्षों के बीच समझौता। मेरे विचार में, यह अधिनियम की धारा 7 (4) (बी) और (सी) की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 9. इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में मेरी विद्वान बहन द्वारा इस मुद्दे को व्यापक रूप से निपटाया जाता है और मैं उनके तर्क से सहमत हूं।

10. कुछ इसी तरह का सवाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठा।

इस बारे में मध्यस्थता कि जब किसी विवाद में दो से अधिक पक्ष हों तो इस तरह के विवाद को मध्यस्थता कार्यवाही में कैसे निपटाया जाना चाहिए-क्या इसे पक्षों के एक समूह के बीच एक मध्यस्थता कार्यवाही में निपटाया जाना चाहिए या इसे अलग या समानांतर मध्यस्थता कार्यवाही में निपटाया जाना चाहिए।

11. विद्वान लेखक एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने "इंटरनेशनल" पर अपनी पुस्तक में इस प्रश्न को संक्षेप में संबोधित किया था।

मध्यस्थता "। (देखें-रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन-छठा संस्करण-'जे' बहु-पक्षीय मध्यस्थता (ए) से (ई) 2.212 से 2.247 पृष्ठ 141 से 153) शीर्षक के तहत।

12. विद्वान लेखकों ने आई. सी. सी. और ए. ए. ए. नियमों, अंग्रेजी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न की जांच की।

बहु-पक्षीय मध्यस्थता पर अपील और आई. सी. सी. आयोग की रिपोर्ट। उन्होंने राय दी कि समझौते की शर्तों और किसी भी नियम के अधीन उस ओर से बनाए गए, यह वांछनीय है कि ऐसे विवादों को किसी भी असंगत निष्कर्ष और समानांतर मध्यस्थता कार्यवाही से बचने के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही में यथासंभव हल किया जाना चाहिए।

13. चूंकि मध्यस्थता कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य विवादों का शीघ्रता से और समय सीमा के भीतर निर्णय लेना है, इसलिए यह उद्देश्य [2019] 11 एस. सी. आर. हो सकता है।

माध्यस्थम न्यायाधिकरण को अंततः कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कार्यवाहियां। 14. जैसा कि मेरी विद्वान बहन ने ठीक ही कहा है, अभिलेख पर लाए गए निर्विवाद तथ्य, स्पष्ट रूप से, इस न्यायालय को कुएँ का आह्वान करने का अधिकार देते हैं।

"कंपनियों के समूह" के ज्ञात सिद्धांत और इस मामले के तथ्यों पर अपने सिद्धांत को लागू करें ताकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ऊपर नामित तीन पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम बनाया जा सके। मेरे विचार में, कोई भी "कंपनियों के समूह" के सिद्धांत के कानूनी प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सकता है।

मध्यस्थता कार्यवाही में इसका आवेदन और उचित मामलों में, इसे इस तरह से लागू किया जा सकता है (देखें-रेडफर्न और हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन -

छठा संस्करण-1.115 पृष्ठ 33,242-2.51 पृष्ठ 85 से 88)

15. मैंने ऊपर जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, मैं सम्मानपूर्वक सहमत हूँ

मेरी विद्वान बहन का तर्क और निष्कर्ष।

अपीलों

को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

निधि जैन